# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2024/60**

मिसल नम्बर– 22 / 2024

शिवराज सिंह पुत्र गोकुल चंद आयु 72 वर्ष जाति पंजाबी निवासी मं0 नं0 ई 127 गायत्री विहार रायपुरा उघोगपुरी कोटा

प्रार्थीया।

बनाम

1.अविनाश सिंह उतरेजा पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति पंजाबी
2.श्रीमति रिशु उतरेजा पत्नी श्री अविनाश सिंह उतरेजा आयु 40 वर्ष निवासीगण म.नं0 34 श्री मोटे महादेव विहार थेकड़ा रायपुरा रोड उघोगपुरी कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक...31.1.25...

उपस्थितिः–

1.श्री नंद किशोर नागर अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी का बड़ा पुत्र है, तथा अप्रार्थीया कम 2, अप्रार्थी कम 1 की पत्नी है, प्रार्थी की पुत्रवधु है, प्रार्थी की पत्नी का देहान्त हो चुका है, जिससे प्रार्थी काफी अकेला हो चुका है, प्रार्थी अत्यधिक बीमारियो से घिर हुआ है, प्रार्थी शुगर, बीपी, हार्ट की बीमारीयो से ग्रसित है, घुटनो से चलने फिरने में भी काफी परेशानी होती है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण दायित्व है कि वह प्रार्थी पिता व ससुर की देखरेख करे, अपने पुत्र धर्म का पूर्ण पालन करे, परंतु अप्रार्थीगण का व्यवहार प्रार्थी के प्रति अत्यधिक हिंसक एवं अपराधिक आचरण से युक्त है, अप्रार्थी कम 1 का प्रार्थी पिता है, परंतु अप्रार्थी कम 1 हमेशा प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार व गाली गलोच मारपीट करता है, अप्रार्थी कम 2 भी अप्रार्थी कम 1 का ही साथ देती है, ओर प्रार्थी की पत्नी के देहान्त के बाद से ही अप्रार्थी कम 2 का व्यवहार मे कूरता आ गई ओर अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ अत्यधिक अभद्र व्यवहार करने लगे ओर प्रार्थी को खाना नही देते तथा बीमार हो जाने पर डॉक्टर को भी नही दिखाते जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगा है, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार निवेदन किया कि मै बुजुर्ग व्यक्ति हूं तथा मुझसे चला फिरा नही जाता है, आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यो करते है, तो अप्रार्थीगण कहने लगे कि हमने तुम्हारा ठेका नही ले रखा है, हम तुम्हारी देखभाल नही कर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सकते है। अप्रार्थीगण प्रार्थी से बात बात पर लडाई झगड़ा ,गाली गलोच करते हुए प्रार्थी के साथ मारपीट करने लग जाते जिसके कारण कई अवसरो पर प्रार्थी गंभीर रूप से घायल हो चुका है, एवं प्रार्थी को दो बार हार्ट अटेक भी आ चुका है, किंतु पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से अप्रार्थीगण के उक्त अपराधिक कृत्यो को समाज के सामने उजागर नही कर पाया प्रार्थी के सदभाविक आचरण को प्रार्थी की कमजोरी मानकर अप्रार्थीगण के अपराधिक होंसले ओर अधिक लगातार बढ़ते हुए जा रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा धीरे धीरे प्रार्थी को बहला फुसलाकर तथा गलत तरीके से एवं झूठ बोलकर हस्ताक्षर करवाकर समस्त चल अचल सम्पति अपने नाम पर करवा ली है, साथ ही प्रार्थी से मकान बनाने के बहाने उसकी जमा पूंजी 3,50,000रू0 भी वर्ष 2012 में हड़प कर ली ओर वर्ष 2014 मे अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से 100,000 रू0 अक्षरे एक लाख रू. लिये वर्ष 2016 मे 1,50,000रू0 लिये ओर वर्ष 2017 मे 1,31,000 रू0 लिये थे, उक्त राशि को अप्रार्थीगण ने खर्च कर दिया ओर इस प्रकार धीरे धीरे करके अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की समस्त जमा पूंजी प्रार्थी से हडप ली जबकि प्रार्थी ने अपनी उक्त राशि की मांग अप्रार्थीगण से की तो अप्रार्थीगण ने देने से साफ इंकार दिया है, ओर प्रार्थी से जानबूझ कर लडाई झगडा मारपीट कर मात्र पहने हुए कपड़ो मे ही माह नवम्बर 2023 में घर से निकाल दिया ओर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि मकान हमारा है, यदि दुबारा यहां कदम रखा तो जान से मार देगे, इस प्रकार अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थी अत्यधिक मानसिंक एवं अवसाद मे है, ओर प्रार्थी अपने छोटे पुत्र कपिल सिंह के घर 127 गायत्री विहार रायपुरा उद्योगपुरी कोटा में निवास कर रहा है, जहां पर प्रार्थी अपने छोटे पुत्र के साथ निवासरत है, प्रार्थी का छोटा पुत्र कपिल ही प्रार्थी की देखरेख करता है। जबकि अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी का बड़ा पुत्र है, अप्रार्थीया क्रम 2 बडी पुत्रवधु है, जो अपने पिता ससूर के प्रति अपने दायित्वो को भूल गये है ओर प्रार्थी की बुजुर्ग अवस्था, बीमार हालत मे कोई सेवा सुश्रषा नही करते है, नही खाना पीना करते है, जबकि उनका दायित्व है कि वे अपने बीमार पिता व ससूर की सेवा सुश्रुषा करे, भरण पोषण करे, उल्टे प्रार्थी को घर से नवम्बर 2023 को घर से निकाल दिया है। अप्रार्थी क्रम 1 भाटिया कंपनी मे कार्य करता है, जिसको प्रतिमाह 25000रू0 मिलते है, तथा अप्रार्थी क्रम 2 जो कि होस्टल में मेनेजर के पद पर है उसको भी प्रतिमाह 25000रू0 मिलते है, इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रतिमाह 50,000रू० आय अर्जित करते है, ओर अप्रार्थीगण प्रार्थी को प्रतिमाह भरण पोषण, कपड़े हारी बीमारी के इलाज हेतु प्रतिमाह 40,000रू० अक्षरे चालीस हजार रू की आवश्यकता है, जिसमे आधा खर्चा 20,000 रू0 प्रार्थी का छोटा पुत्र कपिल वहन कर रहा है, तथा अप्रार्थीगण भी प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु होने से आधा खर्चा 20,000 रू0 प्रतिमाह उनसे दिलाया जाना न्यायोचित है, ताकि प्रार्थी अपना गुजर बसर कर सके, तथा अपनी वृद्धावस्था मे इलाज करा सके। अप्रार्थीगण उक्त खर्चा अदा करने मे पूरी तरह से सक्षम है, प्रार्थी को उक्त खर्चा प्राप्त करने की सख्त आवश्यकता है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थी के साथ गाली गलोच कर मारपीट कर घर से निकाल दिया जिसके लिए अप्रार्थीगण को दंडित कियां जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण से भरण पोषण एवं हारी बीमारी मे इलाज हेतु 20,000 रू0 अक्षरे बीस हजार रू. प्रतिमाह खर्चा प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से दिलाया जावे, एवं आप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ कुरता करने शारीरिक मानसिंक संताप पहुंचाने एवं गाली गलोच मारपीट करने से उनके उक्त अवेधानिक कृत्य के लिए उनको दंडित किया जावे, अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी के पक्ष मे हो अता फरमायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी नं सही एवं वास्तविक तथ्यों से अवगत नही कराया है वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि प्रार्थी के तीन पुत्र जिसमें अप्रार्थी कम 1 अविनाश, एवं कपिल, स्व0 विपिन है, और अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थी से पृथक निवास करतें है। प्रार्थी एक अपराधिक प्रवृति के चरित्रहीन व्यक्ति है इसलिए प्रार्थी को उनके पिता श्री गोकुलचन्द के द्वारा अपनी समस्त सम्पत्ति से बाहर कर दिया था और साथ ही प्रार्थी ने भी अप्रार्थी कम 1 को भी कोटा के न्यूज पेपर में विज्ञप्ति के माध्यम से दि0 25.11.2022 को पिता–पुत्र के सभी सम्बन्ध समाप्त कर लिये थे इस प्रकार प्रार्थी से अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। अप्रार्थी कम 1 का विवाह अप्रार्थी कम 2 रिशु बाला के साथ दि0 20.01.2003 को सम्पन्न हुआ था। लेकिन प्रार्थी और उनकी पत्नी आशा उतरेजा व अपने पुत्र कपिल के साथ मिल कर काफी परेशान किया। जिससे अप्रार्थी कम 1 की पत्नी रिशु ने अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध दहेज प्रताडना का प्रकरण दर्ज करा दिया। उन्होनें अप्रार्थी कम 1 की पत्नी को दहेज की मांग को लेकर परेशान किया बल्कि लज्जाभंग करने के प्रयास भी किये गये। प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 1 की पत्नी को वापस शान्ति पूर्वक रखने व मारपीट न करने व सभी सोने चांदी के आभूषण वापस देने की शर्त पर वापस ले आये जिस पर प्रार्थी ने एक लिखा पढ़ी भी नोटेरी के समक्ष करवायी, जिसके बावजूद भी प्रार्थी ने तब स्त्रीधन नही लोटाया और अप्रार्थी कम 1 की पत्नी अप्रार्थी कम 2 के साथ पुनः दुर्व्यवहार करने पर पुलिस थाना जवाहर नगर कोटा में प्रथम सुचना रिपोर्ट सं० 286/2010 दर्ज करवायी थी। प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक होने के बावजूद भी समाज के प्रति उसका व्यवहार सही नही है जिसके कारण उसे समाज से भी बेदखल किया हुआ और उसके व्यवहार से आहत होकर प्रार्थी के पुत्र विपिन की भी आक्समिक मृत्यु हो गयी उसका भी वैवाहिक जीवन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तरह ही खराब कर दिया था जिससे विपिन की पत्नी ममता से विवाह सम्बन्ध विच्छेद हो गये थे। और इसी प्रकार प्रार्थी ने व उसकी पत्नी ने अप्रार्थीगण के वैवाहिक जीवन में जहर घोल दिया, और उसे कई कानूनी प्रकियाओं से गुजरना पडा। और प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 1 की मानसिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुए यह कहते हुए कि तेरी पत्नी व तेरे भी केस चल रहे है कहीं तेरी पत्नी अपने मकान को हड़प न करले इसलिए एक फर्जी तरीके से अपनी सम्पत्ति में चल अचल सम्पत्ति का हक त्याग लिखवा लिया और उसी हक त्याग में साढ़े तीन लाख रूपये की प्राप्ति अप्रार्थी कम 1 के द्वारा बता दी गयी जब कि उक्त राशि प्रार्थी नें डाल वापस प्राप्त कर ली थी। और प्रार्थी ने उक्त कृत्य अप्रार्थी कम 1 को उसके वैवाहिक मनमुटाव का फायदा उठा कर आलेखित करवाया था, उक्त दस्तावेज नल एण्ड वोइड था और जो कि प्रार्थना पत्र में जो साढे तीन लाख रूपये का हवाला दिया गया है वो पूर्णतया गलत है। अप्रार्थी कम 1 पृथक से अपनी पत्नी के रिश्तेदारों से रकम उधार प्राप्त कर मकान का निर्माण कराया है, जहां वो अपने बच्चों व पत्नी के साथ निवास करता है । और स्वयं भाटिया एण्ड कम्पनी में 9000/–मासिक वेतन पर ड्राईवर का कार्य करता है, और साथ ही उसकी अप्रार्थी कम 2 पत्नी घरेलू कार्य करके अप्रार्थीगण बड़ी मुश्किल से मकान पर लिये गये लोन की राशि की अदायगी कर रहे है लेकिन प्रार्थी नें स्वयं ही अप्रार्थी कम 1 से सम्बन्ध समाप्त कर लिये थे, उसके बावजूद भी न्यायिक प्रक्रियाओं को दुरुपयोग करते हुए उसके वेवाहिक जीवन में जहर घोलनें का कार्य कर रहे है और प्रार्थी की नजर अप्रार्थी कम 1 की पत्नी अप्रार्थी कम 2 पर भी गलत रहती है और पूर्व में भी व इस

उपखण्ड अधिकारी

प्रकार के कृत्य छेड छाड के कर चुके है लेकिन अप्रार्थीगण ने अपने परिवार की व समाज में उसके पिता की छवि धूमिल न हो उसके बचाये रखने के लिए भरसक प्रयास किये है जब कि प्रार्थी होस्टल संचालक रहा है और वह स्वयं आत्मनिर्भर है इसके अलावा पारिवारिक बटवारे में आयी जमा पूंजी भी प्रार्थी के पास ही है और स्वयं आत्मनिर्भर है और अपने पुत्र कपिल के साथ पूरी चल अचल सम्पत्ति के साथ निवास कर रहा है। और इस प्रकार प्रार्थी अपना भरण पोषण एवं अपना चिकित्सा एवं अपना स्वास्थ्य की प्रबन्ध करने में स्वयं सक्षम है। और वेसे भी राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाऐं राजस्थान के निवासियों के लिए फ्री की हुयी है। प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र असत्य एवं मनगढन्त तथ्यों पर मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेषान करने की गरज से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। चूंकि प्रार्थी वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थी अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः अप्रार्थी कम 1 को आदेशित किया जाता है कि अपने पिता को 3,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों एवं न्यायहित अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा